मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

कमॉक : 873/आर. 234/चार/ब–7/डीएमसी 2021 भोपाल दिनांक 05 अक्टूबर 2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
शासन के समस्त विभागाध्यक्ष,
राज्य शासन के समस्त निगम/मंडल/
बोर्ड एवं अन्य उपक्रम मध्यप्रदेश ।

विषय :– राज्य शासन के वित्तीय प्रबंधन हेतु जारी दिशा–निर्देश के संबंध में ।

संदर्भ :– वित्त विभाग का परिपत्र कमॉक : 120/आर. 50 /चार/ ब–7 /डीएमसी 2019 भोपाल दिनांक 10 मार्च 2019

000

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के माध्यम से राज्य शासन के सुचारू वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से दिशा निर्देश जारी किए गये थे । इस परिपत्र के पैरा 6 में पूँजीगत कार्यो के वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रशासकीय/कार्यादेश स्वीकृति के लिए सूचकांक तथा सूचकांक की गणना की प्रकिया का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :–

सूचकांक 1 = (विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों की सकल राशि– इन स्वीकृतियों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष के प्रारंभ की स्थिति में व्यय)/वार्षिक पूँजीगत उपलब्धता

सूचकांक 2 = (विभाग द्वारा स्वीकृत टेंडर अंतर्गत संविदा के लंबित दायित्व + भू अर्जन की राशि + वन विभाग को दी जाने वाली राशि – इन स्वीकृत टेंडरों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष के प्रारंभ की स्थिति में व्यय)/वार्षिक पूँजीगत उपलब्धता

सूचकांक 3 = (विभाग द्वारा स्वीकृत टेंडर अंतर्गत संविदा के लंबित दायित्व में दी जाने वाली राशि – स्वीकृत टेंडरों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष के प्रारंभ की स्थिति में व्यय)/वार्षिक पूँजीगत उपलब्धता

वार्षिक पूँजीगत उपलब्धता = वार्षिक बजट अनुमान (BE) में पूँजीगत व्यय हेतु उपलब्ध राशि

इन सूचकांकों की अधिकतम सीमा प्रमुख निर्माण विभागों के लिए निम्न तालिका अनुसार निर्धारित की गई है :–

सूचकांक	जल संसाधन विभाग	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	लोक निर्माण विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सूचकांक–1	6	5	4	4
सूचकांक–2	4	4	3.5	3
सूचकांक–3	3	3	3	3

उपरोक्त 04 विभागों को छोड़कर अन्य सभी विभागों के लिए सूचकांक 1 की अधिकतम सीमा 3 (तीन) नियत की गई है । सूचकांक 2 एवं सूचकांक 3 ऐसे विभागों पर लागू नहीं होंगे।

//2//

दिनांक 10 मार्च 2019 के परिपत्र में यह भी निर्देश है कि प्रशासकीय स्वीकृति/कार्यादेश जारी करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इन सूचकांकों का माप (value) उपरोक्त तालिका में सूचकांकों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक न हो ।

2/– प्रशासकीय स्वीकृति/निविदा स्वीकृति को निर्धारित सूचकांकों की सीमा में रखने के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 10 मार्च 2019 के बिन्दु कमॉक 6 को अंशतः संशोधित करते हुए निम्नांकित पूरक निर्देश जारी किए जाते हैं :–

(अ) परियोजना अंतर्गत निर्मित संरचना में जनजीवन की सुरक्षा (उदाहरणार्थ बांध सुरक्षा, बांध पुनर्वास, अग्नि प्रतिरोधक व्यवस्था, कोविड 19 की रोकथाम/उपचार के लिए अधोसंरचना विकास इत्यादि) से संबंधित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति/निविदा जारी करने के लिए प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा सूचकांकों में आवश्यक छूट प्रदान की जा सकती है ।

(ब) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के समय कई बार आवश्यक नियामक स्वीकृतियॉ (जैसे– वन तथा पर्यावरण विभाग की स्वीकृति) प्राप्त करने में विलम्ब होने से कार्य प्रारंभ नही हो पाता है, अथवा मध्यम कालिक व्यय कार्य योजना (MTEF) की अवधि में कार्य प्रारंभ किया जाना संभव नहीं हो पाता है, अथवा किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण कार्य आंशिक/पूर्ण रूप से निष्पादित किया जाना संभव नहीं हो पाता है, अथवा प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के उपरांत प्रशासकीय विभाग किसी परियोजना को अन्य किसी औचित्यपूर्ण आधार पर कियान्वित करने की स्थिति में नहीं होता है । इन परिस्थितियों में प्रशासकीय विभाग ऐसी परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति को यदि निरस्त/स्थगित करने का निर्णय लेता है, तो ऐसे कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत के समतुल्य राशि की सीमा तक सूचकांक से छूट वित्त विभाग द्वारा दी जा सकेगी । इस छूट के अंतर्गत रहते हुए प्रशासकीय विभाग विहित प्रक्रिया का पालन कर नवीन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति/निविदा जारी कर सकेगा ।

(स) यदि बदली हुई परिस्थितियों में प्रशासकीय विभाग पूर्व में स्थगित परियोजनाओं को पुनः प्रारंभ करना चाहता है तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत वित्त विभाग की सहमति से ऐसा निर्णय ले सकता है । निरस्त परियोजनाओं को पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रशासकीय विभाग विहित प्रक्रिया का पालन कर नवीन प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर सकेगा।

//3//

(द) यदि पूर्व से प्रारंभ की गई किसी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता होती है, तथा इस संबंध में विहित प्रकिया का पालन करते हुये पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किया जा सकेगा, भले ही तत्समय विभागीय सूचकांक निर्धारित सीमा से अधिक हों ।

3/– उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

5/10/2021

(डॉ मनोज गोविल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

कमॉक : 874/आर. 234/चार/ब–7/डीएमसी 2021 भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर 2021

प्रतिलिपि :–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,मध्यप्रदेश लेखा भवन बुक 1 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2 आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/10/21

(अरविन्द कुमार गुप्ता)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय भोपाल